नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैव-प्रसंस्करण केन्द्र (सी.आई.ए.बी.)

(जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान)

नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैव-प्रसंस्करण केन्द्र (सी.आई.ए.बी.), मोहाली, भारत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए आवेदन/नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं।

नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैव–प्रसंस्करण केन्द्र (सीआईएबी), भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के तहत एक स्वायत्त संस्थान को अनुप्रयोगों तथा उत्पादों की दिशा में कृषि – खाद्य क्षेत्र के लिए संगत ज्ञान उन्नत बनाने, नेतृत्व करने वाली और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों / प्रक्रमों का मिशन सौंपा गया है। इसका लक्ष्य जैव प्रक्रमों, जैव उत्पादों, जैव उत्पादों के मूल्यवर्धन आदि सहित कृषि खाद्य क्षेत्र के विशेष संदर्भ के आस पास उद्यमशीलता गतिविधि को उत्प्रेरणा / प्रोत्साहन देने के माध्यम से समाज को मिलने वाले लाभों के साथ जोड़ना है। संस्थान के विवरण www.ciab.res.in पर उपलब्ध हैं।

वेतनमान और अन्य लाभ : चुने गए प्रत्याशी को स्तर – 17 (7वें वेतन आयोग के अनुसार) नियुक्त किया जाएगा (शीर्ष वेतनमान रुपए 80,000 (नियत) 6वें वेतन आयोग के अनुसार)। संशोधित वेतन संरचना में वेतन रुपए 2,25,000 (डीए, एचआरए और टीए के अलावा)। एक सेमी–फर्निश्ड निवास परिसर के अंदर प्रदान किया जाएगा। अन्य लाभों / भत्तों को प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) /अवशोषण आधार पर नियुक्ति के लिए लागू नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

अनिवार्य योग्यता / अनुभव :

1. खाद्य प्रौद्योगिकी / जैवरसायन या प्रसंसाधन अभियांत्रिकी या संबंधित क्षेत्र में पीएच.डी;
2. जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष के अनुसंधान अनुभव, खास तौर पर कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, पोषण और स्वास्थ्य में अनुभव;
3. उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड, अनेक अनुसंधान प्रकाशन, पेटेंट और पुरस्कार।

वांछित योग्यताओं और अन्य संगत विवरणों के लिए कृपया www.dbtindia.nic.in या www.ciab.res.in देखें।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग में आवेदनों /नामांकनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में स्थानीय प्रत्याशियों के लिए प्रकाशन की तिथि से 30 दिन और विदेश, अण्डमान और निकोबार और लक्षद्वीप, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर के लदाख क्षेत्र, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के उप संभाग चम्बा और लाहौल और स्पिति जिलों में रहने वाले प्रत्याशियों के लिए यह 45 दिन है।